अंतरिम कार्यवाही दिनांक 14.06.18 एमजेसी प्र.क.-46/17

अनावेदक पक्ष की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आज सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया गया। बाद विचार दर्शित आधार पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

आवेदक / राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अनावेदक / जमानतदार सतेंद्र की ओर से श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता द्वारा एडवोकेट मेमो पेश किया गया।

अनावेदक / जमानतदार की ओर से नोटिस अंतर्गत धारा 446 द0प्र0सं0 का जबाव मय शपथ पत्र पेश किया।

धारा 446 द0प्र0सं० के अंतर्गत प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / राज्य की ओर से एजीपी द्वारा उचित राशि राजसात किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकट किया गया कि संबंधित सत्रवाद कमांक 55 / 16 में उक्त जमानतदार द्वारा पुलिस के माध्यम से संबंधित अभियुक्त की उपस्थिति करा दी गयी है।

अनावेदक / जमानतदार की ओर से कम से कम राशि राजसात किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि उसका एक वर्ष से स्वास्थ्य खराब रहता है तथा आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहता है बच्चों की फीस का भी अभाव होकर वह गरीब व्यक्ति है एवं अभियुक्त को पुलिस के माध्यम से मूल प्रकरण में उपस्थित करा दिया गया है और वह वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं

न्यायालय में पदस्थ प्रवर्तन लिपिक श्री ओमप्रकाश शर्मा ने भी संबंधित सत्र प्रकरण में आज उपरोक्तानुसार अभियुक्त को उपस्थित हो जाना बताया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुए इस प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि आदेश पत्रिका दिनांक 23.02.17 के अनुसार सत्र प्रकरण क्रमांक 55/16 में जमानतदार/अनावेदक सतेंद्र द्वारा अभियुक्त धर्मवीर की 50000/— रुपए की जमानत दी गयी है और विचारण के दौरान अभियुक्त धर्मवीर के अनुपस्थित हो जाने के कारण अनावेदक/जमानतदार के विरुद्ध यह विविध प्रकरण प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने हेतु पंजीबद्ध किया गया है। यद्यपि अभियुक्त के अनुपस्थित हो जाने के संबंध में कोई योग्य कारण

जवाब में दर्शित नहीं है, लेकिन संबंधित मूल सत्र प्रकरण क्रमांक 55/16 में उक्त अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति हो गयी है एवं अनावेदक / जमानतदार का एक वर्ष से स्वास्थ्य खराब रहना एवं उसे आर्थिक रूप से बहुत परेशान होना तथा बच्चों की स्कूल फीस का भी अभाव होना बताते हुये उसे गरीब व्यक्ति होना बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले की समस्त परिस्थितियों के आलोक में न्यायहित में अनावेदक / जमानतदार सतेंद्र के 50000 / - रुपए के प्रतिभूति पत्र में से शेष राशि का परिहार करते हुए 4000/— रुपए (चार हजार रूपये) की राशि राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार उसकी ओर से उक्त राशि जमा करायी जावे। 🧦

इसी समय अनावेदक / जमानतदार सतेंद्र की ओर से राजसात की गयी राशि 4000/- रुपए रशीद कमांक 49 बुक कमांक 11232 पर जमा करायी गयी। अब प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। पूर्व नियत पेशी निरस्त की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो। ALLEN SING

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र0